(159)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस0एस0अली

सदस्य

निगरानी प्रकरण कमांक 462–दो/2011 – विरूद्ध आदेश दिनांक 10.03.2011 पारित द्वारा अपर आयुक्त, चम्बल संभाग, मुरैना – प्रकरण कमांक 27/2010–11 निगरानी

1– प्रमोद कुमार पुत्र जगदीश प्रसाद नावालिक
सरपरस्त चाचा बनवारीलाल ग्राम निटहेरा
तहसील जौरा जिला मुरैना
2– शिवप्रसाद पुत्र दामोदर प्रसाद
निवासी ग्राम जोरा तहसील अम्वाह मुरैना ---आवेदकगण

विरूद्ध

बद्रीप्रसाद पुत्र ग्यासीया जाटव ग्राम सुमावली
तहसील व जिला ग्वालियर मध्य प्रदेश ---अनावेदक

(आवेदकगण के अभिभाषक श्री जगदीश श्रीवास्तव)
(अनावेदक के अभिभाषक श्री दिवाकर दीक्षित अनु.)

आ दे श

(आज दिनांक 28–07–2017 को पारित)

यह निगरानी अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 27/10–11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10–3–11 के विरूद्ध म0प्र0 भू राजस्व संहिता, 1959 की धारा 50 के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

2/ प्रकरण का सारॉश यह है कि अनावेदक ने तहसीलदार पोरसा को मध्य प्रदेश भू राजस्व संहिता 1959 की धारा 115, 116 के अंतर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर बताया कि ग्राम सुमावली की भूमि सर्वे कमांक 514 रकबा 6 वीघा 9 विसवा (आगे जिसे वादग्रस्त भूमि अंकित किया गया है) पर वह पीढ़ी दर पीढ़ी से काविज होकर खेती करते आ रहा है इसलिये उक्त भूमि पर

कब्जा अंकित किया जाय। तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 2539/2004-05 बी 121 पंजीबद्ध किया तथा जांच एंव सुनवाई कर आदेश दिनांक 28-2-2006 पारित करके कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये। इस आदेश के विरूद्ध आवेदकगण ने अनुविभागीय अधिकारी जौरा के समक्ष अपील प्रस्तुत की। अनुविभागीय अधिकारी जौरा ने प्रकरण कमांक 36/07-07 अपील में पारित आदेश दिनांक 4-11-10 से अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा कर दिया तथा प्रकरण गुणदोष पर सुनवाई हेतु नियत किया। इस आदेश के विरूद्ध अनावेदक ने अपर आयुक्त, चंबल संभाग मुरैना के समक्ष निगरानी प्रस्तुत की। अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 27/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-3-11 से निगरानी स्वीकार कर अनुविभागीय अधिकारी जौरा का आदेश दिनांक 4-11-10 निरस्त करते हुये तहसीलदार जौरा के आदेश दिनांक 28-2-06 को स्थिर रखा। इसी आदेश से परिवेदित होकर यह निगरानी प्रस्तुत की गई है।

3/ निगरानी मेमो में अंकित आधारों पर आवेदकगण के अभिभाषक के तर्क सुने तथा अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया। अनावेदक के अभिभाषक तर्को के दौरान अनुपस्थित रहे। उनसे अपेक्षा की गई कि वह चाहे 10 दिवस के भीतर लेखी बहस प्रस्तुत कर सकते हैं। अनावेदक की ओर से लेखी बहस प्रस्तुत न होने के कारण न्यायदान की दृष्टि से मामला गुणदोष पर विचार कर आदेश पारित किया जा रहा है।

4/ आवेदकगण के अभिभाषक के तर्को पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन पर परिलक्षित है कि तहसीलदार जौरा ने प्रकरण कमांक 2539/2004-05 बी 121 में जांच कर पक्षकारों की सुनवाई करके आदेश दिनांक 28-2-2006 से वादग्रस्त भूमि पर कब्जा दर्ज करने के आदेश दिये हैं, जबकि आवेदकगण के अभिभाषक का तर्क है कि वादग्रस्त भूमि आवेदकगण ने पॅजीकृत विकय पत्र दिनॉक 15-5-2008 से कय की है एंव वह तहसील न्यायालय में पक्षकार नहीं थे इसलिये अनुविभागीय अधिकारी ने

विलम्ब क्षमा करके प्रकरण गुणदोष पर आदेश पारित करने हेतु ठीक ही नियत किया है किन्तु इस तथ्य पर अपर आयुक्त, चंबल संभाग ने गौर न करने में भूल की है। प्रकरण के अवलोकन पर स्थिति यह है कि भले ही आवेदकगण ने पॅजीकृत विकय पत्र दिनॉक 15-5-2008 से वादग्रस्त भूमि कय की है किंतु तहसीलदार के आदेश दिनांक 28-2-06 से प्रमाणित है कि वादग्रस्त भूमि पर उन्होंने आवेदन देने के 15 वर्ष पूर्व से बद्री आदि का कब्जा होना एंव खेती करते चले आना पाया है। पॅजीकृत विकय पत्र दिनॉक 15-5-2008 से वादग्रस्त भूमि आवेदकगण द्वारा कय करने पर आवेदकगण को वही स्वामित्व प्राप्त होगा, जो विकय पत्र संपादन दिनांक 15-5-2008 को वादग्रस्त भूमि की स्थिति रही है जिसके कारण अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 27/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-3-11 में निकाले गये निष्कर्ष हस्तक्षेप योग्य नहीं हैं।

5/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से निरस्त की जाती है एंव अपर आयुक्त, चंबल संभाग, मुरैना द्वारा प्रकरण कमांक 27/10-11 निगरानी में पारित आदेश दिनांक 10-3-11 उचित पाये जाने से यथावत् रखा जाता है।

(एस0एस0अली)
सदस्य
राजस्व मण्डल
मध्य प्रदेश ग्वालियर